# न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
## पीठासीन अधिकारी : मानाराम पटेल आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 76/2017

| अपीलाण्ट्स | बनाम | रेस्पोन्डेन्ट |
|---|---|---|
| 1– धन्नाराम पुत्र मालाराम<br>2– पीराराम पुत्र जगराम<br>जातियान विश्नोई निवासीगण<br>ग्राम चितरडी तहसील चौहटन,<br>जिला बाडमेर | | 1– अर्जुनराम के कायम मुकाम–<br>1.1–प्रभुराम पुत्र अर्जुनराम<br>1.2–रामनिवास पुत्र अर्जुनराम<br>1.3–घनश्याम पुत्र अर्जुनराम<br>1.4–श्रीमती संजनी उर्फ लूंगा<br>पत्नी स्व0 अर्जुनराम<br>जातियान गायणा (विश्नोई)<br>निवासी ग्राम चितरडी<br>तहसील चौहटन,<br>जिला बाडमेर<br>2– गेनाराम के कायम मुकाम–<br>2.1–भगवानाराम पुत्र गेनाराम<br>2.2–वीरा पत्नी गेनाराम<br>जातियान जाट निवासीगण<br>ग्राम चितरडी तहसील<br>चौहटन जिला बाडमेर |

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध निर्णय दिनांक 18–5–2012 जो उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 32/2012 अनवान अर्जुनराम बनाम धन्नाराम वगैरा मे पारित किया गया ।

उपस्थितिः–

1–श्री रोशन लाल विश्नोई अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।
2–रेस्पो0गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित ।

## निर्णय

दिनांक 8–10–2018

उक्त अपील का संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपील के रेस्पो0 संख्या 1 अर्जुनराम पुत्र सरजीदान जाति गायणा (विश्नोई) ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि उसके खातेदारी के खेत खसरा नंबर 260/89 रकबा 15 बीघा 07 बिस्वा भूमि ग्राम चितरडी तहसील चौहटन मे आई हुई है उक्त खातेदारी की भूमि विप्रार्थीगण वर्तमान अपीलांट के खेतो के लगते हुए होने से पुरानी माठे व कणे बिखर जाने से प्रार्थी व विप्रार्थी के खेतो की सही सीमा का ज्ञान नही हो रहा है जिससे सीमा को लेकर विवाद होता रहता है इसलिए प्रार्थी अपने खातेदारी की भूमि की पक्की नेखमबंदी करवाने के लिए निवेदन किया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2012 के द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए उक्त अपीलाधीन भूमि की नेखमबंदी करने हेतु उप तहसीलदार सेडवा को कमिश्नर नियुक्त कर नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत

करने का आदेश पारित कर दिया, जिसके विरूद्ध वर्तमान अपील इस न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

वकील अपीलांट उपस्थित । रेस्पो0 गण बावजुद तामिल के अनुपस्थित । अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी । वकील अपीलांट ने अपील मीमो मे वर्णित तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पो0 संख्या 1 द्वारा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत धारा 111, 128 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रार्थना पत्र पर जारी नोटिस अपीलांट को प्राप्त होने पर अधीनस्थ न्यायालय मे हमारी ओर से जबाब भी पेश हुआ, जिसमे प्रार्थी के सेडा पर अप्रार्थी (वर्तमान अपीलांट) का किसी प्रकार से अवैद्य कब्जा नही किया जाना जवाब मे उल्लेखित किया था ।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय मे जब दिनांक 14–7–12 की फर्द मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी जिसमे खसरा नंबर 90 व 87 के खातेदारान की मौके पर ढाणियां बनी होने से मौके पर नेखम कायम नही किया जाने की रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी थी फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने दुबारा मौजा चितरडी के खसरा नंबर 260/89 की नेखमबंदी बाबत तहसीलदार सेडवा से रिपोर्ट तबल करने पर मौका फर्द दिनांक 18–7–14 जो रूबरू मोतबिरान के निरीक्षक भू अभिलेख फागलिया एवं पटवारी हल्का पनोरिया द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की जिसमे भी वर्तमान अपीलांट पीरा वल्द जगराम एवं मोहन वल्द धन्ना की मौके पर 1.13 बीघा भूमि पर रहवासिय ढाणियां बनी हुई होना बताया गया है।

वकील अपीलांट ने कथन किया कि जब अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–5–2012 की एक बार पालना हो चुकी थी परंतु रेस्पो0 बार बार उक्त आदेश की पालना हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पत्थरगढी की कार्यवाही के जरिये अपीलांट की पक्की ढाणियां हटाने जाने का प्रयास कर रहा है । वकील अपीलांट ने कथन किया कि परमानेन्ट पजेशन को पत्थरगढी की कार्यवाही के जरिये नही हटाया जा सकता है इसके लिए रेस्पो0 चाहे तो आर.टी.एक्ट के प्रावधानो के तहत पृथक से सक्षम न्यायालय मे दावा पेश कर सकते है ।

अंत मे वकील अपीलांट ने पुनः निवेदन किया कि एक बार अपीलाधीन आदेश की पालना मे मौका रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है तो उसी आदेश की दुबारा पालना नही करवाई जा सकती है इसलिए अपीलांट की उक्त अपील को स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय को इस संबंध मे आवश्यक निर्देश प्रदान करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड करने का निवेदन किया ।

हमने अपीलांट अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2012 एवं उक्त आदेश की पालना मे दिनांक 14–7–12 को तैयार की गई मौका फर्द एवं अन्य मौका फर्द दिनांक 18–7–14 एवं पत्रावली मे उपलब्ध अन्य दस्तावेजात आदि का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चोहटन द्वारा पारित किये गये अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–5–2012 की पालना मे दिनांक 14–7–12 को निरीक्षक भू अभिलेख बाखासर एवं पटवारी हल्का चितरडी ने वादी एवं प्रतिवादी एवं सेडा पडौसियो तथा ग्राम मे

मौजिज व्यक्तियो की उपस्थिति मे अपीलाधीन भूमि की पैमाईश एवं पक्के नेखम स्थापित करने हेतु नक्शा ट्रेस मे नेखम पाईन्ट कायम करते हुए मौका फर्द तैयार की गई । उक्त मौका फर्द उप तहसीलदार सेडवा ने अपने पत्र दिनांक 21–8–12 के जरिये अधीनस्थ न्यायालय उपाखण्ड अधिकारी चोहटन को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गई थी, जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध है होते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने पुनःइसी मामले मे मौजा चितरडी के खसरा नंबर 260/89 की नेखमबंदी बाबत तहसीलदार सेडवा से रिपोर्ट तबल करने पर मौका फर्द दिनांक 18–7–14 जो रूबरू मोतबिरान के निरीक्षक भू अभिलेख फागलिया एवं पटवारी हल्का पनोरिया द्वारा तैयार कर प्रस्तुत की जिसमे भी वर्तमान अपीलांट पीरा वल्द जगराम एवं मोहन वल्द धन्ना की मौके पर 1.13 बीघा भूमि पर रहवासिय ढाणियां बनी हुई होना बताया गया है, उक्त रिपोर्ट भी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे नत्थी है।

प्रस्तुत प्रकरण मे यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि जब अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चोहटन द्वारा पारित किये गये आदेश की पालना मे दिनांक 14–7–12 को हो चुकी है तथा अधीनस्थ न्यायालय मे प्रस्तुत मौका फर्द मे यह स्पष्ट उल्लेख किया हुआ है कि अपीलाधीन भूमि पर वर्तमान अपीलांट पीरा वल्द जगराम एवं मोहन वल्द धन्ना की मौके पर 1.13 बीघा भूमि पर रहवासिय ढाणियां बनी हुई है । जिसे पत्थरगढी की कार्यवाही के जरिये बेदखल नही किया जा सकता है । रेस्पो0 अपीलाधीन आदेश दिनांक 18–5–2012 की आड मे बार–बार पत्थरगढी करवाने हेतु प्रयास नही करे, न ही उपखण्ड अधिकारी, पत्थरगढी बाबत कोई नवीन आदेश जारी करे । पत्थरगढी के आदेश की आड मे अपीलांट को अपीलाधीन भूमि से बेदखल नही कर सकते है ।

रेस्पो0 यदि अपीलाधीन भूमि पर अपीलांट बनी रहवासीय ढाणियो पर से उसे बेदखल करवाना चाहते है तो इसके लिए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधान अनुसार सक्षम न्यायालय मे बेदखली का दावा प्रस्तुत कर अनुतोष प्राप्त कर सकते है, पत्थरगढी के प्रार्थना पत्र के जरिये परमानेन्ट पजेशन को हटाये जाने की कार्यवाही विधिसम्मत नही कही जा सकती है।

परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18–5–2012 निरस्त किया जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 8–10–2018 को खुले न्यायालय सुनाया गया ।

8/10/18

(मोनाराम पटेल)
अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर